न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल

अध्यक्ष

प्रकरण क्रमांक अपील/5907/2018/ग्वालियर/भू.रा. विरूद्ध आदेश दिनांक 10.09.2018 पारित द्वारा अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर प्रकरण क्रमांक 563/2017-18/अपील.

---

1. श्रीमती मीनू भंसाली पत्नी श्री संजय भंसाली
   निवासी केदारपुर, परगना व जिला ग्वालियर
2. यशराज पुत्र श्री ज्ञानचन्द्र भंसाली
3. मै. एमरॉल्ड इण्डस्ट्रीज संजय भंसाली
   पुत्र श्री ज्ञानचन्द्र भंसाली
   निवासीगण जवाहर कॉलोनी, लश्कर, ग्वालियर .....अपीलार्थीगण

विरूद्ध

म.प्र. शासन .....प्रत्यर्थी

श्री सी.एम. गुप्ता, अभिभाषक, अपीलार्थीगण

श्री आशीष सारास्वत, शासकीय अभिभाषक, प्रत्यर्थी

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 14/2/19 को पारित)

अपीलार्थीगण द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 44(2) के अंतर्गत अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर द्वारा पारित दिनांक 10.09.2018 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अपीलार्थीगण द्वारा अपर कलेक्टर, जिला ग्वालियर के समक्ष संहिता की धारा 107 के अंतर्गत इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि ग्राम सुमेरपाड़ा में स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 168 रकबा 0.400 हैक्टेयर में वर्तमान में शासकीय रास्ता कायम कर दिया है, जबकि बंदोबस्त के पूर्व सर्वे क्रमांक 265/3 ड, 264/2 ग, तथा 261/ड में भी कोई रास्ता अंकित नहीं था। वर्तमान में सर्वे क्रमांक जो कि पुराने सर्वे क्रमांक 265/3ड, 264/2 ग तथा 261/ड से सर्वे क्रमांक 168 का निर्माण किया गया है, में रास्ता कायम

हो जाने के कारण मौके पर आकृति नक्शे में भिन्न हो जाने के कारण अपीलार्थीगण की भूमियां हैं, उनमें व्यवधान उत्पन्न हो रहा है। अत: पूर्व की भांति ही नक्शा दुरूस्त किया जावे। अपर कलेक्टर द्वारा प्रकरण क्र. 10/2015-16/अ-5 पर दर्ज करते हुए आदेश दिनांक 23.01.2018 से अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र नस्तीबद्ध किया गया। अपर कलेक्टर के आदेश के विरूद्ध अपीलार्थीगण द्वारा प्रथम अपील अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के समक्ष प्रस्तुत की गई। अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 10.09.2018 को आदेश पारित कर अपर कलेक्टर द्वारा पारित आदेश स्थिर रखते हुए अपील अस्वीकार की गई। अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह द्वितीय अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ अपीलार्थीगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं-

(1) अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा अपीलार्थीगण के प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर कोई सही विवेचना व उस पर सही निष्कर्ष नहीं निकाला है, इस कारण पारित आदेश निरस्त किये जाने योग्य है।

(2) अपीलार्थीगण के द्वारा आवेदन के साथ संलग्न खसरा रिकॉर्ड एवं नक्शा रीनबंरिंग सूची प्रस्तुत की थी, जिस पर भी कतई कोई सही विवेचना नहीं की और अपने शासकीय अभिलेख रिकॉर्ड को शुद्ध रखना चाहिए था, जिस पर भी कोई सही विवेचना व सही निष्कर्ष नहीं निकाला है और रिकॉर्ड को शुद्ध रखना आवश्यक था। उसके विपरीत जाकर आदेश पारित किया गया है, इस कारण अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश विधि विरूद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

(3) अधीक्षक भू-अभिलेख भूप्रबंधन जिला ग्वालियर से जो जांच रिपोर्ट तथा प्रतिवेदन एवं जांच प्रक्रम का निर्धारित प्रारूप एवं नक्शा तथा पंचनामा संलग्न प्रस्तुत हुआ, उसके विपरीत जाकर आदेश पारित किये जाने में गंभीर भूल की है। इस कारण अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश गैर कानूनी होने से निरस्त किये जाने योग्य हैं।

(4) अपीलार्थीगण के द्वारा अपने आवेदन में यह उल्लेख किया था कि बंदोबस्त के पद सर्वे क्रमांक 168 में रास्ता अंकित हो जाने से जबकि बंदोबस्त के पूर्व जो सर्वे क्रमांक 265/3ड, 264/ग, 261ड है, उसमें पहाड़ अंकित है, रास्ता अंकित नहीं है, वर्तमान में सर्वे क्रमांक 168 में रास्ता अंकित कर दिये जाने से अपीलार्थीगण की लगी हुई भूमियां प्रभावित हो रही हैं। इस प्रकार अपीलार्थीगण के आवेदन को अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा भली-भांति अवलोकन ही नहीं किया और अधीक्षक भू-अभिलेख भूप्रबंधन के द्वारा जो राजस्व निरीक्षक के द्वारा निर्धारित प्रारूप भेजा गया था, उसमें भी अपीलार्थीगण के नाम का उल्लेख है, तो

फिर अधीनस्थ न्यायालयों के द्वारा अपने आदेश में यह लिखकर कि अपीलार्थीगण के क्या हित लाभ प्रभावित होंगे, यह रिकॉर्ड के विपरीत लिखा गया है। इस कारण अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश गैर कानूनी होने से काबिले खारिजी है।

(5) अधीनस्थ न्यायालयों के द्वारा संपूर्ण रिकॉर्ड एवं प्रस्तुत आवेदन तथा अधीक्षक भू-अभिलेख एवं भूप्रबंधन ग्वालियर से जो रिपोर्ट आई उसका सही अवलोकन न कर तथा आदेश में सही निष्कर्ष व सही विवेचना नहीं निकालकर अपीलार्थीगण का आवेदन निरस्त किये जाने में वैधानिक त्रुटि पारित की है। इस कारण अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश गैर कानूनी होने से काबिले खारिजी है।

अत: उनके द्वारा अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आदेश निरस्त करने का अनुरोध किया गया।

4/ प्रत्यर्थी के विद्वान शासकीय अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिसंगत आदेश पारित किया गया है, जो कि स्थिर रखे जाने योग्य है। तर्क में यह भी कहा गया कि अपर आयुक्त एवं अपर कलेक्टर के समवर्ती निष्कर्ष हैं, जिसमें हस्तक्षेप का कोई आधार इस अपील में नहीं है। अत: उनके द्वारा अपील निरस्त करते हुए अधीनस्थ न्यायालय का आदेश स्थिर रखने का अनुरोध किया गया।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। प्रकरण में आवेदक ने स्वयं माना है कि प्रश्नाधीन प्रविष्टि बंदोबस्त के दौरान हुई थी। बंदोबस्त की कार्यवाही के दौरान विधिवत् प्रक्रिया का पालन करने के बाद ही तथा स्थल निरीक्षण, जांच एवं आपत्तियां सुनने के बाद ही सार्वजनिक रास्ते आदि की प्रविष्टि की जाती है। किसी व्यक्ति विशेष की मांग पर सार्वजनिक रास्ते की प्रविष्टि को बदल कर बंदोबस्त के पूर्व की स्थिति बहाल करना उचित तथा विधिक नहीं है। अत: आवेदकगण द्वारा अपने आवेदन में की गई मांग विधिक एवं उचित न होने से अधीनस्थ न्यायालय अपर कलेक्टर द्वारा उचित आदेश पारित किया गया है, जिसकी पुष्टि अपर आयुक्त द्वारा भी की गई है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्ष हस्तक्षेप योग्य नहीं हैं। इस संबंध में 1998 आर.एन. 319 भवानी विरूद्ध लेखराज तथा अन्य में निम्नलिखित न्यायिक सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है-

"धारा 44 (2)-तथ्यों के निष्कर्ष दो न्यायालयों द्वारा एक ही-कोई विपर्यास दर्शित नहीं-द्वितीय अपील में हस्तक्षेप अनुज्ञेय नहीं है।"

उपरोक्त न्यायिक सिद्धांत के प्रकाश में अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश नीतिगत एवं उचित होने से स्थिर रखे जाने योग्य है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 10.09.2018 स्थिर रखा जाता है। अपील निरस्त की जाती है।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर